कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3167/2019 विनोद कुमार गुप्ता बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.11.2019 द्वारा अपीलार्थी श्री विनोद कुमार गुप्ता, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलवा, जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, विशाला जिला दौसा को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी अपील में वर्णित आधारों पर दिनांक 20.11.2019 तक एक अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसे विधि अनुसार, राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निजी प्रत्यर्थी संख्या 03 सुमन शेखावत के हितों को ध्यान में रखते हुए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए थे जिसकी अनुपालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा-मा./संस्था/बी-2/विनोद गुप्ता/अपील/3167/2019 दिनांक 18.11.2019 द्वारा सम्पूर्ण वस्तुस्थिति के विश्लेषण उपरान्त इनके अभ्यावेदन को खारिज किया गया।

श्री विनोद कुमार गुप्ता द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय अधिकरण के समक्ष एक अन्य अपील संख्या 4564/2019 दायर की गई जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा निर्णय दिनांक 27.12.2019 पारित कर अपीलार्थी के विस्तृत अभ्यावेदन दिनांकः 16.11.2019 में उठाये गए बिन्दुओं पर विचार करके विधि एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में बिन्दुवार कारण अंकित करते हुए अपीलार्थी के अभ्यावेदन को विनिश्चित किये जाने और ऐसे विनिर्णय से अपीलार्थी को संसूचित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए। अपीलार्थी के अभ्यावेदन को विनिश्चित किये जाने तक आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 एवं अभ्यावेदन निस्तारण आदेश दिनांकः 18.11.2019 का क्रियान्वयन माननीय अधिकरण द्वारा स्थगित रखा गया।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांकः 16.11.2019 में अभिकथन किया गया कि वह 50 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग है और उनकी सेवानिवृत्ति में लगभग एक वर्ष का समय शेष है। दिव्यांग अधिनियम के अनुसार परसन विद डिसएबिलिटी एक्ट 1995 के अनुसार उसे उचित स्थान पर बिना किसी परेशानी के परिवार के नजदीक जिले में ही पदस्थापित किया जाना चाहिए। अपीलार्थी द्वारा स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलवा, जयपुर में यथावत अथवा राजस्थान स्टेट स्कूल ऑपन, जयपुर अथवा जयपुर शहर में पदस्थापित किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों एवं माननीय अधिकरण के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में गहनता से बिन्दुवार अवलोकन व मनन किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अभिलेखों का निरीक्षण करने पर पाया गया कि वे अपने सम्पूर्ण सेवा काल में जयपुर जिले में ही पदस्थापित रहे हैं और वर्तमान पदस्थापन स्थान पर वर्ष 2013 से विगत 6 वर्ष से भी अधिक समय से कार्यरत हैं। अपीलार्थी दिव्यांग है किन्तु पूर्ण सावधानी से चार पहिया वाहन चलाते हैं। **राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग व्यक्ति को ही स्थानान्तरण में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश प्राप्त हैं, जबकि अपीलार्थी 50 प्रतिशत दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। अपीलार्थी को समीपवर्ती दौसा जिले में ही पदस्थापित किया गया है, किसी दूरस्थ स्थान पर नहीं। अपीलार्थी के स्थान पर श्रीमती सुमन शेखवत को प्रधानाचार्य पद पर पदस्थापित किया जा चुका है। इस प्रकार एक ही स्थान पर पदस्थापित रखे जाने की अपीलार्थी की मांग न्यायोचित नहीं है।** अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें राज्य एवं छात्र हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर 1993 एस.सी. 2486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह अपने अधीन राज्य सेवा के कार्मिक को कब और कहां पदस्थापित करे।**

उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियो एवं सम्पूर्ण वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी, श्री विनोद कुमार गुप्ता प्रधानाचार्य का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया किया जाता है। **उल्लेखनीय है कि माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक ही विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 एवं अभ्यावेदन निस्तारण आदेश दिनांक 18.11.2019 का क्रियान्वयन स्थगित किया गया था। चूंकि अपीलार्थी का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारों पर खारिज**

किया जाता है, अतः श्री विनोद कुमार गुप्ता को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की अनुपालना में तत्काल अपने स्थानान्तरित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, विशाला जिला दौसा में प्रधानाचार्य के पद पर तत्काल कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/विनोद गुप्ता/अपील/4564/2019 दिनांकः 04.08.2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. प्रधानाचार्य राउमावि बीलवा, जयपुर।
10. अपीलार्थी श्री विनोद कुमार गुप्ता, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)